कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

7.5 लाख चोरी का पर्दाफाश दो गिरफ्तार

जयपुर 26 अगस्त। बाडमेर जिले के पुलिस थाना सिणधरी क्षेत्र में हुई दिन दहाडे सोना चांदी व नकदी चोरी का पर्दाफाश करते हुए सिणधरी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक बाडमेर डॉ गगनदीव सिंगला ने बताया कि थाना सिणधरी में 11 अगस्त,2017 को प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र श्री रतनलाल जाति सोनी निवासी सिणधरी चौसिरा ने सिणधरी थाना पर एक रिपोर्ट पेश की कि दिन में मैं परिवार सहित मेरे भाई शिवलाल के घर तीज का प्रोग्राम होने के कारण वहां चले गये तथा प्रोग्राम पूरा होने पर रात में करीब 8.40 बजे पर वापस घर आये तब पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा घर के ताले तोडकर व घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात व 61000/– रूपये रोकड़ चोरी कर ले गये आदि पर प्रकरण दर्ज किया जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण को गंम्भीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाशदान रतनु बालोतरा व पुलिस उप अधीक्षक गुडामालानी श्री रामनिवास सुडा के सुपरविजन में थानाधिकारी श्री देवीचंद ढाका पुलिस थाना सिणधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाकर गहनता से जांच शुरू की गई जांच के दौरान श्री ललित कुमार पुत्र श्री हरिराम जाति सोनी निवासी सिवाना व श्री कुलदीप पुत्र श्री जुगराज जाति नाई निवासी सिवाना को घटना के दिन कस्बा सिणधरी में देखा गया। ललित तथा कुलदीप से गहनता से पुछताछ करने पर उन्होने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

डॉ गगनदीव सिंगला ने बताया कि उक्त घटना करते समय घटना स्थल पर बाहर निगरानी रखने के लिए एक विधि से संघर्षरत बालक तथा श्री कुलदीप का सहारा लिया गया। ललित ने श्री जगदीश सोनी के घर में घुस कर ताले तोड़कर लौहे की अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात तथा 61000/– रूपये नकदी चुरा लिए। विधि से संघर्षरत बालक के कब्जा से 42.530 ग्राम सोने के जेवरात, 643.310 ग्राम चांदी व 17000/– रूपये रोकड व ललित सोनी के कब्जा से जेवरात व गला हुआ सोना कुल 88.410 ग्राम व गली हुई चांदी 1 किलो तथा 37000/– रोकड व कुलदीप नाई के कब्जा से 5000/– रूपये इस प्रकार कुल 59000/– रूपये बरामद किए गए।

राही/सन्तरा/619/2017
नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

3000/– रूपये का ईनामी अन्तर्राज्यीय नकबजन गिरफ्तार
35 लीटर अवैध हथकड शराब बरामद

जयपुर 26 अगस्त। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि थाना शिवाजी पार्क ने 25 अगस्त,2017 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री पारस जैन व वृताधिकारी उत्तर श्री जयसिंह नाथावत के निर्देशन में थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा बहरोड टी पोईन्ट से 3000/– रूपये का ईनामी अन्तर्राज्यीय नकबजन आसु खॉ पुत्र छोटे खॉ उम्र 27 साल जाति मेव निवासी चिमरावली थाना लक्ष्मणगढ को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के कब्जे से 35 लीटर अवैध हथकड शराब जप्त की गयी।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी भरतपुर व हरियाणा से वांछित चल रहा था तथा थाना लक्ष्मणगढ का हिस्ट्रीशीटर है । आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

राही/सन्तरा/620/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

लूट के मामले का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

जयपुर 26 अगस्त। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल टांक ने बताया कि थाना रूदावल ने रूदावल निवासी प्रवीणकुमार पुत्र हीरालाल जाति वैश्य ने अज्ञात 4 वाईक सवार बदमाशों के विरूद्व गांव बंशीपहाडपुर के पास स्थित प्रार्थी के पेट्रोल पम्प (किसान सेवा केन्द्र) पर तैनात कर्मचारियों को डरा–धमका कर कट्टे का भय दिखाकर 1.80 लाख रूपये छिनाकर ले जाने का एक मामला 13 अगस्त 2017 को थाना रूदावल पर पंजीवद्व कराया था।

थानाधिकारी श्री अनिलकुमार उ0नि0 द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त मामले के आरोपी गब्बर उर्फ उदयभान जाति गुर्जर निवासी इब्राहिमपुर थाना बाडी जिला धौलपुर को गिरफ्तार कर आरोपी से गहनापूर्वक पूछताछ जारी है।

2 गौतस्करों को गिरफ्तार कर 12 गौवंश कराये मुक्त

थाना गोपालगढ के थानाधिकारी श्री रामसिंह यादव उ0नि0 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि 2 गौतस्कर गौवंशों को लेकर जंगल गांव जोतगामेती के पास पैदल–पैदल गौकशी हेतु हरियाणा की तरफ ले जा रहा है।

उक्त सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ता के मुखविर के बताये सांकेतिक स्थान पर पहुॅचे तो गौतस्कर 9 बैल व 3 बछडे (कुल 12 गौवंशों) को गौकसी हेतु हरियाणा की तरफ पैदल–पैदल ले जाते हुये दिखाई दिये। जिस पर पुलिस द्वारा गौस्तकर ताहिर व रजाक पुत्रान जोरमल जाति मेव निवासी जोतगामेती थाना गोपालगढ को गिरफतार कर सभी गौवंशो को मुक्त कराकर गौशाला को सुपुर्द कर थाने पर मुकदमा पंजीबद्व किया गया है।

दहेज लोभी पति सलाखों के पीछे

थाना बयाना के गांव जसवंतनगर थाना बयाना निवासी श्रीमती रेखा पत्नी बीरेन्द्र पुत्री शिवचरन जाति कोली ने गांव खेरिया थाना कागारोल जिला आगरा यू0पी0 निवासी अपने ससुरालीजनों के विरूद्व प्रार्थिया को दहेज के लिये प्रताडित कर घर से निकाल देने का एक मामला 5 मई 2017 को थाना बयाना पर पंजीवद्व कराया था। श्री अशोक उ0नि0 द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त मामले के नामजद आरोपी प्रार्थिया के पति वीरेन्द्र पुत्र बाबू जाति कोली निवासी खेरिया थाना कागारोल जिला आगरा यू0पी0 को गिरफ्तार किया गया है।

अपहरण के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार

थाना नदबई ने कासगंज रोड कस्वा नदबई निवासी एक दलित महिला ने गांव रहीमपुर थाना उच्चैन निवासी दीपक कुमार के विरूद्व प्रार्थिया की नाबालिक पुत्री का अपहरण कर ले जाने का एक मामला दिनांक 30.03.2017 को थाना नदबई पर मु0नं0 191/17 धारा 363, 366 आई0पी0सी0 व 3 एससी/एसटी एक्ट एवं 3, 4 पौक्सो एक्ट में पंजीवद्व कराया था। वृताधकारी वृत ग्रामीण भरतपुर श्री धर्मेन्द्रसिंह आईपीएस द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी दीपक कुमार पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी रहीमपुर थाना उच्चैन को गिरफ्तार किया गया है

राही/सन्तरा/621/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट**www.police.rajasthan.gov.in**पर भी उपलब्ध है।